न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह , आर.ए.एस.
मुकदमा नंबरः– 49 / 2020 वादपत्र

अनवान

देवाराम पुत्र पोखर बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

– वादी

बनाम

1.श्रीमती कमला पत्नी भीमाराम बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2.धर्मा पुत्र भीमाराम बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3.सुखदेव पुत्र भीमाराम बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4.मुकेश पुत्र भीमाराम बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5.देउ पुत्री भीमाराम बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
6.रामू पुत्री भीमाराम बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
7.डाउराम पुत्र बेणा बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
8.गणेशराम पुत्र बेणा बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
9. श्रीमती हंजा पत्नी बेणा बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
10. श्रीमती रेखा पत्नी गोपाल बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
11.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:36:46 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा –53 राज0 काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित

1. श्री मुकेश जैन

अधिवक्ता प्रार्थी

न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा (भीलवाड़ा)

2. पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

दिनांक 06.07.2021

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद बड़ी का बाड़िया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 102 में आ0नं0 1511 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा भूमि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के पिता व प्रतिवादी संख्या 07 लगायत 10 के नाम राजस्व रेकार्ड़ में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड़ है। जिसका उक्तानुसार सभी वादी व प्रतिवादीगण हिस्सा अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है परन्तु प्रतिवादीगण सहमति से विभाजन को तैयार नहीं होने से यह वाद पत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस जरिये रजिस्टर्ड़ एडी दिनांक 06.11.2020 को जारी किये । नियत दिनांक 11.01.2021 को प्रेषित रजिस्टर्ड़ डाक तामील को एक माह से अधिक का समय होने से विधिवत माना जाना उचित होने से प्रतिवादीगण को विधिवत तीन मर्तबा रूक–रूक कर आवाजें लगाई गईं। किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिये गये। प्रकरण में तहसीलदार करेड़ा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल फाईल किया गया । वकील वादी ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस करनी चाही। वकील वादीगण की बहस सुनी गई । बहस के दौरान वकील वादी ने प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

मैनें पत्रावली, उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया । उपरोक्त विवेचन के आधार न्याय हित में तहसीलदार करेड़ा द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य है। अतएव:

आदेश

प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बड़ी का बाड़िया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्न आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के मध्य विभाजन अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड़ में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:36:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेंन सहायक कलक्टर
करेड़ा (भीलवाड़ा)

किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड़ में दर्ज की जावें।

1. देवा पुत्र पोखर बलाई सा0 देह खातेदार

आराजी नंबर	रकबा हैक्टयर में	किस्म	लगान
1511/1	0.1644	बारानी – III	

कुल किता 1 रकबा 0.1644 हैक्टयर

2. गणेशराम पुत्र वेणा हिस्सा 16/93, डाउराम पुत्र वेणा हिस्सा 21/93, भीमाराम पुत्र वेणा हिस्सा 21/93, रेखादेवी पत्नी गोपाल हिस्सा 11/93, हंजा पत्नी वेणा हिस्सा 24/93,

आराजी नंबर	रकबा हैक्टयर में	किस्म	लगान
1511	1.1761	बारानी – III	

कुल किता 1 रकबा 1.1761 हैक्टयर

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के नाम राजस्व रेकार्ड़ में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो । पत्रावजी फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2021 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
न्यायालय उपखंड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:36:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महिपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 49/2020 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53–54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

देवाराम पुत्र पोखर बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

– वादी

बनाम

1.श्रीमती कमला पत्नी भीमाराम बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

2.धर्मा पुत्र भीमाराम बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

3.सुखदेव पुत्र भीमाराम बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

4.मुकेश पुत्र भीमाराम बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

5.देउ पुत्री भीमाराम बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

6.रामू पुत्री भीमाराम बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

7.डाउराम पुत्र बेणा बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

8.गणेशराम पुत्र बेणा बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

9. श्रीमती हंजा पत्नी बेणा बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

10. श्रीमती रेखा पत्नी गोपाल बलाई आयु व्यस्क निवासी बड़ी का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

11.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:36:46 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन, एडवोकेट व प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि ––और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि –– को दी जायें।

न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा (भीलवाड़ा)

प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बड़ी का बाड़िया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्न आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के मध्य विभाजन अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

3. देवा पुत्र पोखर बलाई सा0 देह खातेदार

आराजी नंबर	रकबा हैक्टयर में	किस्म	लगान
1511/1	0.1644	बारानी –III	

कुल किता 1 रकबा 0.1644 हैक्टयर

4. गणेशराम पुत्र वेणा हिस्सा 16/93, डाउराम पुत्र वेणा हिस्सा 21/93, भीमाराम पुत्र वेणा हिस्सा 21/93, रेखादेवी पत्नी गोपाल हिस्सा 11/93, हंजा पत्नी वेणा हिस्सा 24/93,

आराजी नंबर	रकबा हैक्टयर में	किस्म	लगान
1511	1.1761	बारानी –III	

कुल किता 1 रकबा 1.1761 हैक्टयर

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 06.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:36:46 IST
Reason: SelfAttested